LEGAL SUCCESS LAW COACHING

The Dowry Prohibition Act, 1961
(Act no. 28 of 1961)
CONTENTS
Sections Particulars
Preamble

Introduction

1 Short title, extent and commencement.
2 Definitions of 'dowry'.
3 Penalty for giving or taking dowry.
4 Penalty for demanding dowry.
4 A Ban on advertisement.
5 Agreement of giving or taking dowry to be void.
6 Dowry to be for the benefit of the wife or her heirs.
7 Cognizance of offences.
8 Offences to be cognizable for certain purposes and to be non-bailable and non compoundable.
8 A Burden of proof in certain cases.
8 B Dowry Prohibition Officers.
9 Power to make rules.
10 Power of State Government to make rules.
APPENDIX
THE DOWRY PROHIBITION (MAINTENANCE OF LIST OF PRESENTS TO THE BRIDE AND BRIDEGROOM) RULES, 1985

LEGAL SUCCESS

THE DOWRY PROHIBITION ACT, 1961
NO. 28 OF 1961

[20th May, 1961.]

An Act to prohibit the giving or taking of dowry.

Notes

Finding ways and means to control and combat the menace of giving and taking of dowry. **Vikas v. Rajasthan, AIR 2002 SC 2830: (2002) 6 SCC 728.**

Be it enacted by Parliament in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the **Dowry Prohibition Act, 1961.**

(2) It extends to the whole of India

(3) It shall come into force on such date2 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definition of "dowry".-In this Act, "dowry' means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly.

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person, at or before for any time after the marriage] [in connection with the marriage of the said parties, but does not include] dower or mahr in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies.

Explanation I-5[]

Explanation II.-The expression "valuable security" has the same meaning as in Section 30 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Notes

Periphery of the term "dowry" as defined is not restricted to agreement or demand for payment of dowry before and at the time of marriage but it also includes demands made subsequent to marriage. **State of A.P. v. Raj Gopal Asawa, AIR 2004 SC 1933: (2004) 4 SCC 470.**

LEGAL SUCCESS

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (3)

क्रमांक 28 सन् 1961

[20 मई, 1961]

दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम ।

टिप्पणी

दहेज लेने तथा देने के खतरे को नियन्त्रित करने तथा विरोध करने के तरीके तथा माध्यम को ढूंढ़ना।

विकास वि० **राजस्थान, ए० आई० आर० 2002 एस० सी० 2830 : (2002) 6 एस० सी० सी० 728.**

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ. - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है।

(2) इसका विस्तार [**] सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा? जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. "दहेज" की परिभाषा. – इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व [या विवाह के पश्चात् किसी समय] –

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

[4] [उक्त पक्षकारों के विवाह के सम्बन्ध में] या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अन्तर्गत नहीं है।

स्पष्टीकरण - 1. – [5][***]

स्पष्टीकरण - 2.- " मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 30 में है।

टिप्पणी

यथा परिभाषित शब्द "दहेज" की परिधि विवाह के पूर्व या विवाह के समय दहेज के दिए जाने की मांग या करार तक सीमित नहीं है लेकिन इसमें विवाह के पश्चात् की गई मांग भी सम्मलित है। **स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश वि० राज गोपाल असावा, ए० आई० आर० 2004 एस० सी० 1933 : (2004) 4 एस० सी० सी० 470.**

LEGAL SUCCESS

Demand for dowry can be made at any time and not necessarily before marriage. **Bhim Singh v. State of Uttarakhand, AIR 2015 SC (Supp) 797: 2015 CriLJ 1428.**

[1]y money or property or valuable security demanded by any of the persons mentioned in this section of the Act, at or before or at any time after marriage which is reasonably connected to death of married woman, would necessarily be in connection with or in relation to marriage unless, facts of a given case clearly and unequivocally point otherwise. **Rajinder Singh v. State of Punjab, AIR 2015 SC 1359: (2015) 6 SCC 477.**

Customary payments in connection with the birth of child or other ceremonies, are not enveloped within the ambit of the term "dowry". **Satvir Singh v. State of Punjab, AIR 2001 SC 2828: (2001) 8 SCC 633.** See also, **Narayanmurthy v. State of Karnataka, AIR 2008 SC 2377: (2008) 16 SCC 512.**

Additional demand of dowry falls under the definition of the term "dowry". **Prem Singh v. State of Haryara, AIR 1998 SC 2628: (1998) 8 SCC 70.**

The term "marriage" includes proposed marriage that may not have taken place. **Reema Aggarwal v. Anupam, AIR 2004 SC 1418: (2004) 13 SCC 199.**

Demanding of share by deceased in ancestral property of father will not amount to dowry demand. **Baldev Singh v. State of Punjab, AIR 2009 SC 913: (2008) 13 SCC 233.**

3. Penalty for giving or taking dowry. [(1)] If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable 2[with imprisonment for a term which shall not be less than 3[five years and with fine which shall not be less than fifteen thousand rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more]:

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 3[five years].

[(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to, or in relation to,-

(a) presents which are given at the time of a marriage to the bride (without any demand having been made in this behalf):

Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this Act;

(b) presents which are given at the time of marriage to the bridegroom (without any demand having been made in that behalf):

Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this Act:

Provided further that where such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom, or on whose behalf, such presents are given. J

LEGAL SUCCESS

दहेज की मांग किसी समय की जा सकती है, आवश्यक रूप से विवाह के पूर्व नहीं। **भीम सिंह वि० स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड, ए० आई० आर० 2015 एस० सी० (सप्ली०) 797 2015 क्रि० लॉ ज० 1428.**

इस धारा में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा मांग की गई कोई सम्पत्ति या धन या मूल्यवान प्रतिभूति, विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात् जो विवाहिता महिला की मृत्यु से युक्तियुक्ततः जुड़ी हुई है। आवश्यक रूप से विवाह से जुड़ी हुई या उसके सम्बन्ध में होगी जब तक कि किसी दिए हुए मामले के तथ्य अन्यथा अंसदिग्धता: इंगित न करें। **रजिन्दर सिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब, ए० आई० आर० 2015 एस० सी० 1359 : (2015) 6 एस० सी० सी० 477.**

सन्तान के जन्म या अन्य अनुष्ठानों के सम्बन्ध में किए गए रूढ़िगत भुगतान 'दहेज ' शब्द की परिधि में नहीं आते। **सतवीर सिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब, ए० आई० आर० 2001 एस० सी० 2828 : (2001) 8 एस० सी० 633 और देखें नारायणमूर्ति वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक, ए० आई० आर० 2008 एस० सी० 2377 : (2008) 16 एस० सी० सी० 512.**

दहेज की अतिरिक्त मांग भी शब्द "दहेज" की परिभाषा में आती हैं। **प्रेम सिंह वि० स्टेट ऑफ हरियाणा, ए० आई० आर० 1998 एस० सी० 2628 : (1998) 8 एस० सी० सी० 70.**

शब्द " विवाह" में प्रस्तावित विवाह भी सम्मिलित है जो कि सम्पन्न न हुआ हो। **रीमा अग्रवाल वि० अनुपम, ए० आई० आर० 2004 एस० सी० 1418 : (2004) 13 एस० सी० सी० 199.**

मृतका द्वारा पिता की पैतृक सम्पत्ति में उसके अंश की मांग करना, दहेज मांग नहीं है। **बल्देव सिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब, ए० आई० आर० 2009 एस० सी० 913 : (2008) 13 एस० सी० सी० 233.**

3. दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति. - [1][(1)] यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, 2[तो वह कारावास से जिसकी अवधि [पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो पन्द्रह हजार रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा,] दण्डनीय होगा:

परन्तु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे, [पांच वर्ष] से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

[4] [(2) उपधारा (1) की कोई भी बात,

(क) ऐसी भेटों को, जो वधू को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किये बिना) दी जाती हैं या उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होगी : परन्तु यह तब जब तक कि ऐसी भेटें, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं;

(ख) ऐसी भेटों को जो घर को विवाह के समय (उस निमित्त मांग किये बिना) दी जाती हैं उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होगी : परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेटें, इस अधिनियम के समय बनाये गये नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं

परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है, दी जाती हैं वहां ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेटें दी गई हैं, अधिक नहीं है।]

The essential ingredients of the offence under Section 3/4 are that the persons accused should have made demand directly or indirectly from the parents or other relatives or guardians of a bride or a bridegroom, as the case may be, any dowry and/or abets the giving and taking of dowry. **Arun Singh v. State of Uttar Pradesh, AIR Online 2020 SC 170.**

Victim wife was living with accused during the subsistence of her previous marriage, she cannot be treated as legally wedded wife of accused. Essential ingredients for the offence under this section missing. Conviction set aside. **Mukesh v. State of Madhya Pradesh, AIR Online 2019 MP 1305.**

[4. Penalty for demanding dowry.-If any person demands, directly or indirectly, from the parents or the other relatives or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but w extend to two years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

Provided that Court may, for adequate and special reasons to be mentined in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less months.]

Notes

Testimony of informant, father of deceased that marriage was performed only after the assurance was given for dowry, contradicted by other witnesses. Testimony of witness that the informant voluntarily agreed for dowry, therefore demand not proved. Accused acquitted. **Ramakanta Dash v. State of Orissa, 2020 CriLJ 523.**

Offence under this section is complete when the demand for dowry is made and consent for meeting the demand is not necessary and if demand is consented then it becomes "dowry" within the ambit of Section 2. **L.V. Jadhav v. Shankarrao Abasaheb Pawar, AIR 1983 SC 1219: (1983) 4 SCC 231: 1983 CriLJ 1501.**

Mere demand of dowry before marriage is an offence. Where the delay in lodging of FIR is satisfactorily explained and the evidence of witnesses in support of dowry demand not shakened in cross-examination. Accused liable to be convicted under this section. **Pandurang Shivram Kawathkar v. State of Maharashtra, 2001 CriLJ 2792.**

Possibility of accused being in agreement with his brother with regard to the demand of dowry. Conviction cannot be based on such assumptions without offence being proved beyond a reasonable doubt. **S. Gopal Reddy v. State of A.P., AIR 1996 SC 2184: (1996) 4 SCC 596:1996 CriLJ 3237.**

Courts at the place where the wife takes shelter after leaving or driven away from the matrimonial home on account of acts of cruelty committed by the husband or his relatives, would, also have jurisdiction to entertain a complaint alleging commission of offences under Section 498A, IPC. **Ruhi v. Anees Ahmad, AIR Online 2020 SC 161.**

214A. Ban on Advertisement.-If any person-

(a) offers, through any advertisment in any newspaper, periodical, journal or through any other media, any share in his property or of any money or both as a share in any business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative;

LEGAL SUCCESS

टिप्पणी

धारा 3/4 के अधीन अपराध के आवश्यक संघटक है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा यथास्थिति वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या अभिभावक से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से दहेज की मांग की गई हो। या दहेज देने या लेने को दष्प्रेरित किया हो। अरुण सिंह वि० स्टेट ऑफ उ० प्र० ए० आई० आर० ऑन लाईन 2020 एस० सी० 170. पीड़िता पत्नी अपने पूर्व विवाह के अस्तित्व के दौरान अभियुक्त के साथ रह रही थी, उसे अभियुक्त की विधिक रूप से विवाहिता पत्नी नहीं माना जा सकता। इस धारा के अपराध के लिए आवश्यक संघटक मौजूद नहीं। दोषसिद्धि अपारत की गई। मुकेश वि० स्टेट ऑफ म० प्र०, ए० आई० आर० ऑन लाईन 2019 म० प्र० 1305.

[1]**[4. दहेज मांगने से लिए शास्ति. –** यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति वधू या वर के माता-पिता - या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा : परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किये जाएंगे, छह मास से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

टिप्पणी

मृतका के पिता सूचनादाता का परिसाक्ष्य कि दहेज देने के आवश्वासन पर विवाह सम्पन्न हुआ था, अन्य साक्षियों द्वारा खण्डन किया गया। साक्षी का परिसाक्ष्य की सूचनादाता स्वेच्छा से दहेज के लिए राजी हुआ था, अतः मांग साबित नहीं हुई। **रमाकान्ता दास वि० स्टेट ऑफ उड़ीसा, 2020 क्रि० लॉ ज० 523.**

इस धारा के अधीन अपराध तब पूरा होता है जब दहेज की मांग की जाती है तथा उस मांग को पूरा करने की सहमति आवश्यक नहीं है तथा यदि मांग को सहमति दे दी जाती है तो यह धारा 2 की परिधि में 'दहेज' बन जाती है। **एल० वी० जाधव वि० शंकर राव अबासाहेब पवार, ए० आई० आर० 1983 एस० सी० 1219 : (1983) 4 एस० सी० सी० 231 : 1983 क्रि० लॉ ज० 1501.**

विवाह के पूर्व दहेज की केवल मांग एक अपराध है। जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट के दाखिल करने में हुआ विलम्ब को सन्तोषप्रद रूप में स्पष्टीकृत किया जाता है तथा दहेज की मांग के समर्थन में साक्षियों का साक्ष्य अडिग रहता है, अभियुक्त इस धारा के अधीन दोषसिद्धि का दायी है। **पाण्डुरंग शिवराम कवाथकर वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 क्रि० लॉ ज० 2792.**

दहेज की मांग के सम्बन्ध में अभियुक्त का अपने भाई के साथ सहमत होना। युक्तियुक्त सन्देह के परे अपराध को साबित किए बिना ऐसी पूर्वधारणा पर दोषसिद्धि को आधारित नहीं किया जा सकता। **एस० गोपाल रेड्डी वि० स्टेट ऑफ ए० पी० ए० आई० आर० 1996 एस० सी० 2184 : (1996) 4 एस० सी० सी० 596 : 1996 क्रि० लॉ ज० 3237.**

पति अथवा उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता के कार्यों के किए जाने के कारण ससुराल छोड़ने अथवा से अधीन अपराध के कारित किए जाने के आरोप के परिवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है। **रूही वि० अनीस अहमद, ए० आई० आर० ऑन लाईन 2020 एस० सी० 161.**

[2][4क. विज्ञापन पर पाबंदी. - यदि कोई व्यक्ति-

(क) अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफलस्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जरनल या किसी अन्य माध्यम से, अपनी सम्पत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा;

(b) prints or publishes or circulates any advertisement referred to in clause (a),

he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend to five years, or with fine which may extend to fifteen thousand rupees:

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months.]

5. Agreement for giving or taking dowry to be void.-Any agreement for the giving or taking of dowry shall be void.

6. Dowry to be for the benefit of the wife or her heirs.-(1) When any dowry is received by any person other than the woman in connection with whose marriage it is given, that person shall transfer it to the woman-

(a) if the dowry was received before marriage, within [three months] after the date of marriage; or
(b) if the dowry was received at the time of or after the marriage, within [three months] after the date of its receipt; or
(c) if the dowry was received when the woman was a minor, within [three months] after she has attained the age of eighteen years, and pending such transfer, shall hold it in trust for the benefit of the woman.

[1][(2) If any person fails to transfer any property as required by sub-section (1) within the time limit specified therefor, for as required by sub-section (3)] he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years or with fine 3[which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees] or with both.]

(3) Where the woman entitled to any property under sub-section (1) dies before receiving it, the heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being:

[2][Provided that where such woman dies within seven years of her marriage otherwise than due to natural causes, such property shall-

(a) if she has no children, be transferred to her parents, or
(b) if she has children, be transferred to such children and pending such transfer, be held in trust for such children.]

[4][(3A) Where a person convicted under sub-section (2) for failure to transfer any property as required by sub-section (1) 2[or sub-section (3)] has not before his conviction under that sub-section, transferred such property to the woman entitled thereto or, as the case may be [her heirs, parents or children] the Court shall, in addition to awarding punishment under that sub-section, direct, by

LEGAL SUCCESS

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित या करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा,
वह कारावास से जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से जो पन्द्रह हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा
परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किये जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।]

5. दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना. - दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। "

6. दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना. – (1) जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के सम्बन्ध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति, उस दहेज को,-
(क) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् [तीन मास] के भीतर ; या
(ख) यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् [तीन मास] के भीतर ; या
(ग) यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् [तीन मास] के भीतर,
स्त्री को अन्तरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिये धारण करेगा।
[1][(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किसी सम्पत्ति का, उसके लिए परिसीमा काल के भीतर 2 [या उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित] अन्तरण करने में असमर्थ रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 3[जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं किन्तु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा,] या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे :
[2][परन्तु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है वहां ऐसी संपत्ति,
(क) यदि कोई संतान नहीं है तो उसके माता-पिता को अन्तरित की जाएगी, या
(ख) यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अन्तरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी।]
[4][(3क) जहां उपधारा (1) 2 [या उपधारा (3)] द्वारा अपेक्षित सम्पत्ति का अन्तरण करने में असफल रहने के लिए, उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने, उस उपधारा के अधीन उसके सिद्धदोष ठहराए जाने के पूर्व, ऐसी सम्पत्ति का, उसके लिए हकदार स्त्री को या, पथस्थिति [उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को अन्तरण नहीं किया है वहां न्यायालय, उस उपधारा के अधीन दण्ड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश देगा कि
ऐसा व्यक्ति, ऐसी सम्पत्ति का, यथास्थिति ऐसी स्त्री या [उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अन्तरण करे और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो सम्पत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका, यथास्थिति, उस स्त्री या [उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को संदाय किया जा सकेगा।] "
(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

order in writing, that such person shall transfer the property to such woman or, as the case may be, her heirs, parents or children within such period as may be specified in the order, and if such person fails to comply with the direction within the period so specified, an amount equal to the value of the property may be recovered from him as if it were a fine imposed by such Court and paid to such woman or, as the case may be. [her heirs parents or children.]

(4) Nothing contained in this section shall affect the provisions of Section 3 or Section 4

Notes

Where dowry was taken as a consideration of marriage and amount was received by father of husband on son's behalf, it was held by the Court that both were liable for offence under this section **P.T.S. Saibaba v. P. Mangatayaru, 1978 CriLJ 1362.**

Giving of dowry and traditional presents at or about time of wedding does not raise a presumption that such a property was thereby entrusted and put under the dominion of parents-in-law of bride or other close relations so as to attract ingredients of this section. **Bobbili Ramakrishna Raju Yadav v. State of Andhra Pradesh, AIR 2016 SC 442: (2016) 3 SCC 309.**

Criminal proceedings under this section are independent of criminal prosecution under Sections 3 and 4. **Bobbili Ramakrishna Raju Yadav v. State of Andhra Pradesh, AIR 2016 SC 442: (2016) 3 SCC 309.**

Suit for recovery of dowry and gold ornaments from husband is maintainable under Section 6 as the husband holds dowry articles as trustee. **Vadhiboyana Venkata Krishna Reddy v. C. Venkata Ramama Reddy, AIR 2019 Hyd 3.**

[2]**[7. Cognizance of offences.-(1)** Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(a) no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under this Act;
(b) no court shall take cognizance of an offence under this Act except upon-
(i) its own knowledge or a police report of the facts which constitute such offence; or
(ii) a complaint by the person aggrieved by the offence or a parent or other relative of such person, or by any recognised welfare institution or organisation;
(c) it shall be lawful for a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class to pass any sentence authorised by this Act on any person convicted of any offence under this Act.

Explanation. For the purposes of this sub-section, "recognised welfare institution or organisation" means a social welfare institution or organisation recognized in this behalf by the Central or State Government.

LEGAL SUCCESS

जहाँ दहेज को विवाह के प्रतिफल के रूप में लिया गया था तथा राशि को पति के पिता द्वारा पुत्र की ओर से लिया गया था, न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि दोनों ही इस धारा के अधीन अपराध के दायी थे। **पी० टी० एस० साईबाबा वि० पी० मंगतायारू, 1978 क्रि० लॉ ज० 1362.**

विवाह पर या विवाह के समय दहेज या पारम्परिक उपहारों का दिया जाना यह उपधारणा उत्पन्न नहीं करते कि ऐसी सम्पत्ति को तद्द्वारा वधू के सास-सासुर या अन्य निकट के नातेदारों को न्यस्त किया गया है तथा नियन्त्रण में रखा गया है ताकि इस धारा के अवयवों को आकृष्ट करें। **बोबीली रामाकृष्ण रा वि. स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 442 : (2016) 3 एस० सी० सी० 309.**

इस धारा के अधीन दाण्डिक कार्यवाहियाँ, धारा 3 तथा 4 के अधीन दाण्डिक अभियोजन से स्वतंत्र हैं**। बोबीली रामाकृष्णा राजू यादव वि० स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 442: (2016) 3 एस० सी० सी० 309.**

पति से दहेज तथा सोने के गहनों की वसूली के लिए वाद धारा 6 के अधीन पोषणीय है क्योंकि पति दहेज की वस्तुओं को एक न्यासी के रूप में धारित करता है। **वाढ़ीबोयाना वेन्केटा कृष्णा रेड्डी** वि० **वेन्केटा रमामा रेड्डी, ए० आई० आर० 2019 हैद० 3.**

[2]**[7. अपराधों का संज्ञान.** - (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा;

(ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, -

(i) अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर, या

(ii) अपराध से व्यथित या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर, ही करेगा, अन्यथा नहीं

(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करें।

स्पष्टीकरण. - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन " से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है।

(2) Nothing in Chapter XXXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall apply to any offence punishable under this Act.]

[1][(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement made by the person aggrieved by the offence shall not subject such person to a prosecution under this Act.]

Notes

Police complaint is deemed to be a complaint in view of explanation to Section 2(d), CrPC. **Nanjanna v. State of Karnataka, 1987 CriLJ 1386: 1987 (1) Crimes 210.**

Taking of cognizance on the basis of complaint filed by the Dowry Prohibition Officer not authorized to file complaint, is illegal and prosecution on its basis is liable to be set aside. **Yogesh Chhibbar v. State of U.P., 2000 CrilJ 2849.**

[2]**[8. Offences to be cognizable for certain purposes and to be non-bailable and non compoundable.-(1)** The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall apply to offences under this Act as if they were cognizable offences-

(a) for the purposes of investigation of such offences; and
(b) for the purposes of matters other than
(i) matters referred to in Section 42 of that Code; and
(ii) the arrest of a person without a warrant or without an order of a Magistrate.

(2) Every offence under this Act shall be [non-bailable] and non- compoundable.]

[1]**[8A. Burden of proof in certain cases.** Where any person is prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry under section 3, or the demanding of dowry under section 4, the burden of proving that he had not committed an offence under those sections shall be on him.]

Notes

Since the defence of the accused is one of total denial, he, has not chosen to get any witness examined for him nor has he chosen, to produce any document. Besides this, nothing is brought on record in the evidence of any of the prosecution witnesses in discharge of this burden. This shows that the accused failed to discharge the burden of proof cast upon him under this section. **Krishna v. State of Karnataka, 2010 Crily 1515.**

[1]**[8B. Dowry Prohibition Officers-(1)** The State Government may appoint as many Dowry Prohibition Officers as it thinks fit and specify the areas in respect of which they shall exercise their jurisdiction and powers under this Act. (2) Every Dowry Prohibition Officer shall exercise and perform the following powers and functions, namely :-

(a) to see that the provisions of this Act are complied with ;
(b) to prevent, as far as possible, the taking or abetting the taking of, or the demanding of dowry:

LEGAL SUCCESS

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी।

[1][(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा।]

टिप्पणी

पुलिस परिवाद दुं० प्र० सं० की धारा 2 (घ) के स्पष्टीकरण की दृष्टि में एक परिवाद समझा जाएगा। **नन्जन्ना वि. स्टेट ऑफ कर्नाटक, 1987 क्रि० लॉ ज० 1386 : 1987 (1) क्राईम्स 210.**

परिवाद दाखिल करने के लिए अप्राधिकृत दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दाखिल परिवाद पर आधारित कर संज्ञान लेना, अवैध है तथा उसके आधार पर अभियोजन अपास्त किए जाने का दायी है। **योगेश छिब्बर वि० स्टेट ऑफ यू० पी०, 2000 क्रि० लॉ ज० 2849.**

[2]**[8. अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और अशमनीय होना.** — (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इस अधिनियम के अधीन वैसे ही लागू होगी मानो वे

(क) ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए; और अपराधों को

(ख) निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए-

(i) उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय और

(ii) किसी व्यक्ति की वारण्ट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध हों।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध [अजमानतीय] और अशमनीय होगा।

[1]**[8क. कुछ मामलों में सबूत का भार.-** -जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन दहेज लेने या - दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है।]

टिप्पणी

चूँकि अभियुक्त की प्रतिरक्षा पूर्णतया इंकार की थी, उसने न ही साक्षियों की उसके लिए प्रतिपरीक्षा की, न ही कोई दस्तावेज पेश किया। इसके अलावा इस भार से उन्मुक्ति में अभियोजन साक्षियों में से किसी के द्वारा साक्ष्य में, अभिलेख पर नहीं लाया गया। यह दर्शित करता है कि इस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित साक्ष्य के भार को उन्मोचित करने में अभियुक्त विफल रहा। **कृष्णा वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2010 क्रि० लॉ ज० 1515.**

[1]**[8ख. दहेज प्रतिषेध अधिकारी.** — (1) राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और वे क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेंगे।

(2) प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् : :-

(क) यह देखना कि इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया जाता है ;

(ख) दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना;

(c) to collect such evidence as may be necessary for the prosecution of persons committing offences under this Act; and
(d) to perform such additional functions as may be assigned to him by the State Government, or as may be specified in the rules made under this Act,

(3) The State Government may, by notification in the Official Gazette confer such powers of a police officer as may be specified in the notification on the Dowry Prohibition Officer who shall exercise such powers subject to such limitations and conditions as may be specified by the rules made under this Act.
(4) The State Government may, for the purpose of advising and assisting the Dowry Prohibition Officers in the efficient performance of their functions under this Act, appoint an advisory Board consisting of not more than five social welfare workers (out of whom at least two shall be women) from the area in respect of which such Dowry Prohibition Officer exercises jurisdiction under sub-section (1)].

9. Power to make rules. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
[1][(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for--

(a) the form and manner in which, and the persons by whom, any list of presents referred to in sub-section (2) of Section 3 shall be maintained and all other matters connected therewith; and
(b) the better co-ordination of policy and action with respect to the administration of this Act.]

[2][(3)] Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid), both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Notes

Directions issued to take more effective steps to implement provisions of the Act and Rules, to activate Dowry Probibition Officers and also frame rules under Section 9 (2) (b). Further to take steps to arouse conscience of people against demand and acceptance of dowry, awaken Anti-Dowry Literacy among people through Lok Adalats, radio broadcasts, television and newspapers and to establish committed and sincere machinery to implement Act and Rules for eradication of evil of dowry. In re: Enforcement and Implementation of Dowry Prohibition Act, 1961, AIR 2005 SC 2375: 2005 CriLJ 2595: (2005) 4 SCC 565.

LEGAL SUCCESS

(ग) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसे साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हों; और
(घ) ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार उसे सौंपे जाएं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा की जाएं।
(4) राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन सकेगी जिसमें उस क्षेत्र से, जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, पांच से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे (जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी) 1]
9. नियम बनाने की शक्ति. - (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है।
[1][(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-
(क) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भेंटों की कोई सूची रखी जाएगी और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ; और
(ख) इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय ।]
[2] [(3)] इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। 3 [यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी

अधिनियम तथा नियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए और प्रभावी कदम उठाने के लिए, दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सक्रिय बनाने के लिए तथा धारा 9 (2) (ख) के अधीन नियम विरचित करने के लिए निर्देश जारी किए गए। दहेज की मांग तथा स्वीकार करने के विरुद्ध लोगों की अन्तरात्मा को जागृत करने के लिए और कदम उठाने, लोक अदालत, रेडियो प्रसारण, टेलीवीजन तथा समाचारपत्रों द्वारा दहेज विरोधी साक्षरता को जागृत करने तथा दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए अधिनियम तथा नियमों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध तथा निष्कपट मशीनरी स्थापित करना। **एनफोर्समेन्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ डावरी प्रोहिबीशन एक्ट, 1961** के मामले में, **ए० आई० आर० 2005 एस० सी० 2375 : 2005 क्रि० लॉ ज० 2598 : (2005) 4 एस० सी० सी० 505.**

[1]**[10. Power of the State Government to make rules.-(1)** The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:--

(a) the additional functions to be performed by the Dowry Prohibition Officers under sub-section (2) of section 8B ;

(b) limitations and conditions subject to which a Dowry Prohibition Officer may exercise his functions under sub-section (3) of section 8B.

(3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature.]

LEGAL SUCCESS

[1][**10. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति. -** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे. नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8ख की उपधारा (2) के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य :

(ख) वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8ख की उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

LEGAL SUCCESS